न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 104/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 27.12.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

भवंरलाल आत्मज नन्दा जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज कन्हैयालाल उर्फ कान्हा माता छोटी बाई जाति लश्करी निवासी पांचडा की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।
2. भूरीबाई पुत्री भीमा पत्नी रामनाथ जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) मृत्यु दिनांक 16.7.2018

2/1–किशोरीलाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
2/2–फुलचंद पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
2/3–कनफूल पुत्री भूरीबाई पत्नी चौथमल निवासीगण गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/4–राजबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी पूरणमल जाति लश्करी नि0 जगन्नाथ सरपंच के पास नयानोहरा तह. लाडपुरा जिला कोटा
2/5–चतरूबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी नन्दलाल जाति लश्करी नि0 आमा की झोपडिया अमलसरा पलायथा जिला बांरा राज0।
2/6–(मृतक) प्रभूलाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/6/1–छोटीबाई पत्नी प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/6/2–सुनीता पुत्री प्रभूलाल पत्नी सुरेश जाति लश्करी निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2/6/3–जयन्तीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/6/4–गुडडी बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी मुकुट जाति लश्करी नि0 रघुवीरपुरा पो. पनवाड तह. खानपुर जिला झालावाड।

3. श्रवणी पुत्री भीमा पत्नी किशनलाल जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
4. घींसी बाई पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी ड्रैन के पास ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. रेखा पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी हेण्ड पम्प के पास बस्ती आमा तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. छोटू आत्मज मन्ना जाति लश्करी
7. घांसी आत्मज मन्ना जाति लश्करी
8. चम्पा पुत्री मन्ना जाति लश्करी
9. पप्पू माता बच्ची बाई नाना मन्ना जी जाति लश्करी निवासी नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
10. धनराज माता बच्ची बाई नाना मन्ना जाति लश्करी निवासीगण किशनपुरा तकिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा।
11. देवीलाल आत्मज भीमा जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
12. नारायण आत्मज गिरधारी जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट
श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1
श्री जगदीश खण्डेलवाल अभि0 रेस्पो0 क्रम–2/1ता 2/5 व 2/6/1ता 2/6/4 एंव 3,4,5,6 7,,8,9,10
श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–11
श्री रामप्रसाद वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–12

:::निर्णय:::

दिनांक 24.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 100/2014 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान नाथूलाल बनाम भंवरलाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि नाथूलाल रेस्पो0 क्रम–1 ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 18.3.1971 को नामा0 सं0 34 ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा मे '' भीमा मृतक के स्थान पर औरत पारीबाई का नाम दर्ज खाता हो'' बावत पारित आदेश की अप्रसन्नता से प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत दिनांक 21.4.2014 को अपील इस आशय की पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय ने ग्राम हाथीखेडा तह0 लाडपुरा स्थित ख0 नं0 187 की 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामा0 सं0 34 मृतक भीमा के स्वर्गवास के पश्चात केवल मात्र पारी बाई एक मात्र वारिस होने व कोई सुलभी पुत्र न होना बता कर पारीबाई के नाम तस्दीक करने मे त्रुटि की है जबकि सजरा के अनुसार भीमा की तीन पुत्रिया छोटी, भूरी व श्रवणी मौजूद थी बेवा पारीबाई थी। वह छोटी का पुत्र है फिर भी इन वारिसान के नाम इंतकाल तस्दीक नही करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। भीमा की बेवा पारी बाई के नाम ग्राम हाथीखेडा मे इंतकाल नं0 57 दिनांक 23.8.72 से इंतकाल तस्दीक होकर नाम दर्ज किया गया है इस कारण इंतकाल नं0 34 खारिज होने योग्य है। उक्त इंतकाल सं0 34 मे मृतक भीमा के परिवार का सजरा अंकित नही किया है जबकि भीमा के मृत्यु के समय अपीलांट की माता छोटी, भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थी। ग्राम हाथीखेडा की भूमि मे भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि पारीबाई बेवा के नाम गलत रूप से दर्ज हुई। इसके बाद पुराने ख0 नं0 187 की 11 बीघा 6 बिस्वा मे सेटलमेंट कार्य किया गया बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 234 की 1.80 है0 कायम किये गये दौराने सेटलमेंट देवीलाल ने तथाकथित विक्रय दिनांक 19.6.83 जो नन्दा, भूरी व श्रवणी द्वारा लिखा जाना बताया के आधार पर 1/2 हिस्से पर तहसीलदार लाडपुरा से मिलीभगत कर अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसी प्रकार नारायण ने तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 31.3.87 जो पारीबाई, नाथूलाल व चतुर्भुज द्वारा लिखा जाना बताकर उसके आधार पर 1/2 हिस्से पर तहसीलदार से मिली भगत कर अपना नाम दर्ज करवा लिया जो सर्वथा गलत है क्योंकि उक्त दोनो विक्रय पत्र फर्जी बनावटी है। ख0 नं0 234 की भूमि का बेचान नही किया ओर न ही विक्रय पत्र आलेखित किये इस कारण देवीलाल व नारायण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरकरण सं0 34 तस्दीक कर दिया इस कारण नामा0 की कोई जानकारी नही हो सकी। राजस्व रिकार्ड की नकले निकलाने पर उक्त तथ्यों की सर्वप्रथम दिनांक 10.2.2014 को जानकारी होने ने पर नकलो हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त कर रूपयो के इंतजाम कर लगने वाला समय मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश कर अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 34 खारिज कर मृतक खातेदार भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि का नामा0 उनके वारिसान के पक्ष मे तस्दीक किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने निर्णय दिनांक 13.11.2018 से नामान्तरकरण 34 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित भूमि से संबधित विभिन्न न्यायिक प्रकरणो की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर समस्त प्रभावित पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना इंतकाल सं0 34 को खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया कि मृतक भीमा के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का उनकी पत्नी पारी बाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमे किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही है। मृतका पारी बाई की पुत्रिया भूरी बाई व श्रवणी बाई द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे पेश किया उक्त गुणावगुण पर खारिज किया गया जिसके विरूद्ध भूरीबाई व श्रवणीबाई द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील पेश की उक्त अपील को भूरीबाई व श्रवणी द्वारा विड्रो किया गया इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश एवं डिक्री बहाल रहने के बावजूद भी रेस्पो0 की अपील स्वीकर कर ली जो सर्वथा त्रुटिपूण एंव अवैधानिक है। उक्त आराजी के संबध मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा वर्ष 2014 मे वर्ष 1971 के इंतकाल की लगभग 42 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है। इस अवधि मे वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी के संबध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा मे वाद जेरकार है उक्त वाद मे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान कर रखा है जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो रहा है। उक्त स्थगन होने के बावजूद भी इंतकाल खारिज करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही करने बावजूद भी 42 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील मे मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र मे दिनाक 18.3.71 से 11.3.14 व दिनांक 11.3.14 से 27.3.2014 को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 21.4.2014 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 27.3.2014 से 21.4.14 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नही चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपने अपील मेमो मे वर्णित इंतकाल की जानकारी 10.2.2014 को अपील मैमो के मद नं0 9 मे वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी होना दिनांक 11.3.14 वर्णित किया है उक्त तथ्यो को अपीलांट द्वारा लिखित बहस मे व जवाब धारा 5

मियाद अधि0 मे विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी भी उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर अपील को अंदर मियाद होना मानते हुये स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। रेस्पो0 छोटीबाई का पुत्र हो व छोटीबाई के रेस्पो0 के अलावा अन्य कोई वारिसान नही हो उक्त तथ्य के संबध मे किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर नही है जिसकी आपत्ति अपीलांट द्वारा लिखित बहस मे की गई जिसका किसी प्रकार से रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा खण्डन नही किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 का वर्णित आराजी से कभी कोई संबध व आराजी पर कब्जा नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2018 वास्ते न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं जेरकार निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर तक स्थगित किये जाने बावत खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–3 कोटा मे जेर वाद एवं अपीलांट द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अनुसधान अधिकारी द्वारा की गई जांच के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन्हे नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त किया जावे एवं इंतकाल नम्बर 34 दिनांक 18.3.1971 ग्राम हाथीखेडा को बहाल किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे अपील के तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त सार है कि भीमा जी के नाम ग्राम हाथीखेडा भी स्थिति आराजी का उनकी मृत्यु के बाद इंतकाल नम्बर 34 दिनांक 18.3.1971 से उनकी पत्नी पारी बाई के नाम तस्दीक किया गया। जिसकी अप्रसन्नता से नाथूलाल द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे अपील सं0 100/2014 प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 13.11.2018 को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना इंतकाल सं0 34 को खारिज करने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नही दिया कि मृतक भीमा के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का उनकी पत्नी पारी बाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमे किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही है। मृतका पारी बाई की पुत्रिया भूरी बाई व श्रवणी बाई द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे पेश किया गया उक्त वाद गुणावगुण पर खारिज किया गया जिसके विरूद्ध भूरीबाई व श्रवणीबाई द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील पेश की उक्त अपील को भूरीबाई व श्रवणी द्वारा विड्रो किया गया इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश एवं डिक्री बहाल रहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की अपील स्वीकर कर ली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। उक्त आराजी के संबध मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा वर्ष 2014 मे वर्ष 1971 मे तस्दीक इंतकाल की अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 42 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है। इस अवधि मे वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी के संबध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा मे वाद जेरकार है इसके बावजूद भी इंतकाल खारिज करने का आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही करने बावजूद भी 42 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील मे मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र मे दिनाक 18.3.71 से 11.3.14 व दिनांक 11.3.14 से 27.3.2014 को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 21.4.2014 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 27.3.2014 से 21.4.14 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नही चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपने अपील मेमो मे वर्णित इंतकाल की जानकारी 10.2.2014 को अपील मैमो के मद नं0 9 मे वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी होना दिनांक 11.3.14 वर्णित किया है उक्त तथ्यो को अपीलांट द्वारा लिखित बहस मे व जवाब धारा 5 मियाद अधि0 मे विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी भी उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर अपील को अंदर मियाद होना मानते हुये स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। रेस्पो0 छोटीबाई का पुत्र हो व छोटीबाई के रेस्पो0 के अलावा अन्य कोई वारिसान नही हो उक्त तथ्य के संबध मे किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर नही है जिसकी आपत्ति अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत लिखित बहस मे की गई जिसका किसी प्रकार से रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा खण्डन नही किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 का वर्णित आराजी से कभी कोई संबध व आराजी पर कब्जा नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2018 वास्ते न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं जेरकार निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर तक स्थगित किये जाने बावत खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों

का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–3 कोटा मे जेरकार वाद एवं अपीलांट द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई जांच के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन्हे नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे 2002 वो.2 सुप्रीम कोर्ट पेज 346 इंतकाल समरी प्रोसीडिंग है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही होता, आरआरटी 2018 वो. प्रथम पेज 769 आदेश एवं डिक्री प्रभावी है तो उसको चुनोती दिया जाना चाहिये। एसएलटी 205 वी (2007) सुप्रीम कोर्ट पेज नंम्बर 215 वसीयत के दावे के जेरकार रहते वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये इंतकाल को निरस्त नही किया जा सकता। आरआटी 2016–17 पेज 181 महिला को कोई भी सम्पत्ति कही से भी प्राप्त हो वह उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है जिसका उसको वसीयत आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। डीएनजे राज0 1996 पेज 738 आरबीजे 2012 राज0 हाई कोर्ट पेज नम्बर 786, आरबीजे 2010 राज0 हाई कोर्ट पेज नं0 289, आरआरटी 2014 वो. प्रथम पेज नम्बर 154 प्रस्तुत अपील बाहर है। आरबीजे 2005 सुपीम कोर्ट पेज 735 मियाद के प्रार्थना पत्र के निर्णय करते समय न्यायालय अंतर निहित शक्तियां का इस्तेमाल कर मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही कर सकता। आरआरटी 2018 वो.II पेज 879, आरबीजे2006 हाई कोर्ट पेज नं0 78 आरआरटी 2015 वो. प्रथम पेज नंम्बर 168 आरआरटी 2009 वो. प्रथम पेज नमबर 179 एआईआर1964 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1336 एसीसी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 4475 मियाद बाहर अपील परमियाद के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अपील का मेरिट पर निर्णय नही किया जा सकता। आरबीजे 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज नं0 810 मियाद कण्डोन किये बिना न्यायालय प्रकरण को मेरिट पर सुनवाई नही कर सकता। आरआरटी 2003 वो. प्रथम हाई कोर्ट पेज नम्बर 650 आरआरटी 2013 वो. II पेज नम्बर 881, आरआरटी 2019 वो. I पेज नम्बर 495 जहां नियमित वाद जेरकार हो वहां पर इंतकाल की कार्यवाही पर ध्यान नही दिया जाना चाहिये। एआईआर 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 2139 आरआरटी 2017 वो.II पेज नम्बर 870 आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी पर आदेश प्रदान किये बिना दस्तावेज को पढा नही जा आरआरटी 2016/17 पेज 219 बावत 30 वर्ष बाद इंतकाल की अपीले कई व्यक्तियों को बेचान बाद मे पुत्री द्वारा दावा किया जिस पर न्यायालय द्वारा अपील खारिज की और वर्णित किया कि 30 वर्ष बाद अपील करने का कोई आधार नही है अधिकार प्राप्ति हेतु दावा करना चाहिये। आरआरटी 2018 वो. II पेज 1057 वसीयत आदि के विवाद मे दावा करना चाहिये, आरआरटी 2013 वो. II पेज नम्बर 841 आरआरटी 2009 वो. II पेज 729 रजिस्टर्ड दस्तावेज को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज की सही होने की उपधारणा की जाएगी। उक्त न्यायिक नजीरों के परिपेक्ष्य मे अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त किया जावे एवं इंतकाल नम्बर 34 दिनांक 18.3.1971 ग्रास हाथीखेडा को बहाल किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 एवं रेस्पो0 क्रम–2/1 ता 2/5 व 2/6/1 ता 2/6/4 एंव 3, 4 ,5, 6 7,,8, 9, 10 ने बहस मे प्रकट किया कि ग्राम हाथीखेडा तह0 लाडपुरा स्थित ख0 नं0 187 की 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामा0 सं0 34 मृतक भीमा के स्वर्गवास के पश्चात केवल मात्र पारी बाई एक मात्र वारिस होने व कोई सुलभी पुत्र न होना बताकर पारीबाई के नाम तस्दीक करने मे परीक्षण न्यायालय द्वारा त्रुटि किया जाना प्रकट होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक दोष नही है। बहस मे बताया कि सजरा के अनुसार भीमा की तीन पुत्रिया छोटी, भूरी व श्रवणी मौजूद थी बेवा पारीबाई थी। वह छोटी का पुत्र है फिर भी इन वारिसान के नाम इंतकाल तस्दीक नही करने मे परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है। भीमा की बेवा पारी बाई के नाम ग्राम हाथीखेडा मे इंतकाल नं0 57 दिनांक 23.8.72 से इंतकाल तस्दीक होकर नाम दर्ज किया गया है इस कारण इंतकाल नं0 34 खारिज होने योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से खारिज किया है। उक्त इंतकाल सं0 34 मे मृतक भीमा के परिवार का सजरा अंकित नही किया है जबकि भीमा के मृत्यु के समय अपीलांट की माता छोटी, भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थी। ग्राम हाथीखेडा की भूमि मे भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि पारीबाई बेवा के नाम गलत रूप से दर्ज हुई। इसके बाद पुराने ख0 नं0 187 की 11 बीघा 6 बिस्वा मे सेटलमेंट कार्य किया गया बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 234 की 1.80 है0 कायम किये गये दौराने सेटलमेंट देवीलाल ने तथाकथित विक्रय दिनांक 19.6.83 जो नन्दा, भूरी व श्रवणी द्वारा लिखा जाना बताने के आधार पर 1/2 हिस्से पर तहसीलदार लाडपुरा से मिलीभगत कर अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसी प्रकार नारायण ने तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 31.3.87 जो पारीबाई, नाथूलाल व चतुर्भुज द्वारा लिखा जाना बताकर उसके आधार पर 1/2 हिस्से पर तहसीलदार से मिली भगत कर अपना नाम दर्ज करवा लिया जो सर्वथा गलत है क्योंकि उक्त दोनो विक्रय पत्र फर्जी बनावटी है। ख0 नं0 234 की भूमि का बेचान नही किया ओर न ही विक्रय पत्र आलेखित किये इस कारण देवीलाल व नारायण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरकरण सं0 34 तस्दीक कर दिया इस कारण नामा0 की कोई जानकारी नही हो सकी। राजस्व रिकार्ड की नकले निकलाने पर उक्त तथ्यों की सर्वप्रथम दिनांक 10.2.2014 को जानकारी होने ने पर नकलो हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त कर रूपयो के इंतजाम कर लगने वाला समय मुजरा करने पर अपील अधीनस्थ न्यायालय मे अवधि मध्य पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से स्वीकार कर नामा0 सं0 34 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लाउपुरा को प्रतिप्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–11 ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त मे सार है कि रेस्पो0 नाथूलाल की ओर से अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय मे अपील पेश की गई थी। उसमे वर्णित तथ्यो एवं साक्ष्यो से परे जाकर निर्णय पारित किया है जबकि रेस्पो0 की ओर से पूर्व मे उपरोक्त बेचान की गई जमीन के संबध मे पुलिस मे कार्यवाही की गयी थी उन कार्यवाहियो मे कोई सार नही मानते हुए एफआरपेश करदी थी तथा आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय ने उपरोक्त विक्रय पत्रो को निरस्त नही किया है विक्रय पत्र आज तक भी प्रभावी है। उन्ही विक्रय पत्रो के आधार पर इंतकाल तस्दीक हो चुके है जिसे निरस्त नही किया जा सकता। स्वयं रेस्पो0 भूरीबाई, श्रवणी, घींसीबाई व अनय द्वारा एक बाद पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के यहां पेश किया जो निरस्त हुआ उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां पेश की जिसे विड्रो कर लिया इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा जो वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां पेश किया था जिसमे भी कोई सफलता रेस्पो0 नाथूलाल व अन्य को नही मिली तथा उसके बावजूद भी इस बिन्दू पर गौर किए बिना जेरअपील निर्णय 13.11.2018 पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय मे पेश नही हो सके थे जो न्यायालय हाजा मे पेश किये गये है दस्तावेज सुंसगत होने से रिकार्ड पर लिया जावे। प्रकरण मे पुलिस द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के उपरांत एफआर पेश की थी जो न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी को पूर्व मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के माध्यम से बेचान हो चुका है बेचान आज तक प्रभावी है। अतः अपील स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। अपील स्वीकार की जावे।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–12 ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त मे सार है कि न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपीलों को रेस्पो0 को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही स्वीकार कर लिया जो गलत है। रेस्पो0 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.3.87 व दिनांक 30.4.90 से खातेदार से भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा भूधारक द्वारा विधिवत रूप से तत्समय राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज किया तब से ही वह बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपीले 30–40 साल मियाद बाहर पेश की है मियाद का समुचित कारण नही बताया गया है शुरू से ही नाथूलाल को इंतकालो की जानकारी रही है धारा 5 का प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के पक्ष मे आलेखित विक्रय पत्र के संबध मे सिविल न्यायालय मे वाद जेरकार है तथा राजस्व न्यायालय मे भी वाद जेरकार है उक्त वादो के जेरकार रहते अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल निरस्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश प्रदान कर दिया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नाथूलाल द्वारा आर्डर 41 रूल 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो से भी सपष्ट हो जाता है कि नाथूलाल को पूर्व से ही इंतकालो की जानकारी रही है विधिक प्रावधान है कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण किये बिना दस्तावेजो पर टिप्पणी नही की जा सकती किन्तु फिर भी उक्त दस्तावेजो को आधार बनाकर आदेश प्रदान किया गया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनाा पत्र पर किसी प्रकार का आदेश प्रदान किये बिना ही प्रभावित पक्षकार होना मान लिया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये बिना आदेश प्रदान कर दिया जो गलत है। लिखित बहस मे यह भी वर्णित किया कि बाद इंतकाल प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित किया है। वसीयत के संबध मे राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वक्त पारित आदेश सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी आदेश प्रदान किया गया है साथ ही फौजदारी प्रकरणो मे अनुसंधान अधिकारी द्वारा विक्रय पत्रों को सही व सत्य होना मानकर एफआर प्रस्तुत की है इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउंटर अपील स्वीकार की जाकर भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे व प्रार्थी के पक्ष मे तस्दीक इंतकाल को बहाल रखा जावे।

7 हमने पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का आध्योपांत अवलोकन कर बहस एंव लिखित बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाने बावत अपीलांट द्वारा दिनांक 9.5.2019 प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपीयां सुसंगत दस्तावेज व प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख अनुसार विवादित आराजी का नामा0 सं0 34 दिनांक 18.3.1971 को भीमा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के रूपम एक मात्र वारिस बेवा पारीबाई के नाम स्वीकार किया गया है जिसे रेस्पो0 क्रम 1 नाथूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.4.2014 को अपील पेश कर इस आधार पर चुनोती दी गई कि बेवा पारी बाई के अतिरिक्त मृतक भीमा के तीन पुत्रिया श्रवणी भूरी व छोटी बाई मौजूद थी अपीलांट छोटीबाई का पुत्र है। भीमा की नामा0 सं0 57 दिनांक 23.4.72 के द्वारा उसी भूमि का भीमा की मृत्यु होने के पश्चात वारिस बेवा पारी बाई पुत्री श्रवणी, भूरी, छोटी के नाम खोला गया इस कारण इंतकाल सं0 34 खारज होने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने नामा0 सं0 57 को गलत होने के संबध मे पर्याप्त दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से निर्णय दिनांक 13.11.2018 से नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को को स्वीकार कर नामा0 सं0 34 खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित भूमि से संबधित विभिन्न न्यायिक प्रकरणो की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर समस्त प्रभावित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः

गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि "मृतक भीमा के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का उनकी पत्नी पारी बाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमे किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही है। आराजी के संबध मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा इंतकाल सं0 34 ग्राम हाथीखेडा को 42 वर्ष बाद वर्ष 2014 मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर चुनोती दी है जिसका कोई समुचित व युक्तियुक्त कारण नही है जबकि अपीलांट को इंतकाल की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। इस अवधि मे वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी के संबध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा मे वाद जेरकार है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही करने बावजूद भी 42 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील मे मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र मे दिनाक 18.3.71 से 11.3.14 व दिनांक 11.3.14 से 27.3.2014 को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 21.4.2014 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 27.3.2014 से 21.4.14 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नही चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि रेस्पो0 छोटीबाई का पुत्र हो व छोटीबाई के रेस्पो0 के अलावा अन्य कोई वारिसान नही हो उक्त तथ्य के संबध मे किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है"। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम हाथीखेडा के नामा0 सं0 34 दिनांक 18.3.1971 के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम 1 नाथूलाल द्वारा दिनांक 21.4.2014 को लगभग 42 वर्ष बाद अपील विलम्ब से पेश की गई जो मियाद बाहर थी। इंतकाल समरी प्रोसीडिंग है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही होता, आदेश एवं डिक्री प्रभावी है तो उसको चुनोती दिया जाना चाहिये। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निर्णय करते समय न्यायालय अंतर निहित शक्तियां का इस्तेमाल कर मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील पर मियाद के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये बिना तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि किया जाना प्रकट होता है। अधी पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि विवादित भूमि के संबधित विभिन्न प्रकरण राजस्व न्यायालयों एवं सिविल न्यायालयों मे विचाराधीन है तथा फर्जी दस्तावेज के संबध मे पुलिस मे मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसमे एफ.आर. दी गई जो न्यायालय से स्वीकार होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे जहां विवादित आराजी को लेकर विभिन्न न्यायालयों मे प्रकरण विचाराधीन रहते अथवा नियमित वाद जेरकार हो वहां पर इंतकाल की कार्यवाही को 42 वर्ष बाद बिना कोई आधार के नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि मध्य मानते हुये इंतकाल सं0 34 दिनांक 183.71 ग्राम हाथीखेडा को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही ठहराया जा सकता जबकि पत्रावली मे विलम्ब माफ करने का कोई समुचित व युक्तियुक्त आधार भी मौजूद नही है। उक्त विवेचित तथ्यों के संदर्भ मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 पारित कर विवादित आराजी के नामान्तरकरण सं0 34 को खारिज करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम 11 व 12 द्वारा प्रस्तुत कांउटर अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 142/15 नाथूलाल बनाम नारायण वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 अपास्त किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा